न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर (जिला–अजमेर)
पीठासीन अधिकारी– श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 28/2018 (2018/00141)

1. श्री घीसा वयस्क पुत्र स्व. श्री धन्ना
2. श्री रसूल वयस्क पुत्र स्व. श्री धन्ना
3. श्री करीमा वयस्क पुत्र स्व. श्री धन्ना

समस्त जाति मेहरात निवासियान ग्राम फतेहगढ़ सल्ला तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

——— प्रार्थीगण

ब ना म

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांक : 07.09.2020

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार हल्का रूपनगर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1193/1337 रकबा 00–04–00, 1194/1338 रकबा 00–12–00, 1199/1339 रकबा 00–13–00 किस्म बा.3 भूमियां वादीगण की पुश्तैनी आराजियात चली आ रही है जिसके खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता स्व. धन्ना वल्द मोती जाति मेहरात निवासी ग्राम फतेहगढ़ सल्ला तहसील ब्यावर चले आ रहे थे, जो कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदियों गिरदावरियों इत्यादि से प्रमाणित है। श्री धन्ना जी व उनकी पत्नि श्रीमती बीवी का स्वर्गवास होने के पश्चात वादीगण ही खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं। राजस्व रेकार्ड जमाबंदियों में वादीगण एवं उनके पिता स्व. श्री धन्ना जी की जाति मेहरात ही अंकित चली आ रही तथा अन्य आराजियात बाबत् भी स्व. धन्नाजी का विरासती दाखिल खारिज वादीगण के नाम से जो खोला गया है उसमें भी वादीगण व उनके पिता की जाति मेहरात ही अंकित चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात के पूर्व के समस्त रेकार्ड में भी वादीगण के पिता स्व. धन्ना जी की जाति मेहरात ही अंकित चली आ रही है। कालांतर में वादग्रस्त आराजियात की नई जमाबंदियों में राजस्व विभाग की लापरवाही की वजह से उपरोक्त आराजियात में वादीगण के पिता स्व. धन्ना वल्द मोती के नाम अंकित चली आ रही उक्त भूमियों में संहवन से वादीगण के पिता की जाति मेहरात के स्थान पर रावत अंकित कर दी गई है। जबकि वादीगण एवं उनके परिवारजन का रावत जाति के किसी तरह का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है तथा वादीगण एवं उनके परिवारजन प्रारंभ से ही मेहरात जाति से संबंधित चले आ रहे हैं। वादीगण को राजस्व रेकार्ड में हो रखी उक्त त्रुटि की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी तथा वादीगण द्वारा दिनांक 14.07.2017 को राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर उक्त त्रुटि की जानकारी हुई। उक्त जानकारी होने पर वादीगण द्वारा उन्हें दुरूस्त करवाये जाने बाबत् एक राजस्व वाद संख्या 25/2017 अजनाम श्री घीसा व अन्य बनाम राज्य सरकार के नाम से न्यायालय में प्रस्तुत किया था एवं न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 08.05.2018 को निर्णय पारित करते हुए आदेश पारित किया कि "ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार हल्का रूपनगर स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 663 रकबा 00–17–00, 664/1335 रकबा 00–00–10, 1192/1338 रकबा 00–06–00 में अंकित धन्ना वल्द मोती कौम रावत सा. देह खातेदार के स्थान पर धन्ना वल्द मोती कौम मेहरात दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर पर पारित किये जाते हैं। तदनुसार तहसीलदार ब्यावर राजस्व अभिलेखों में धन्ना वल्द मोती की जाति रावत के स्थान पर मेहरात अंकित किया जाकर दुरूस्ती करें।" उक्त निर्णय पारित किये जाने के पश्चात् वादीगण द्वारा दिनांक 23.05.2018 को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तथा राजस्व रेकार्ड दुरूस्त करवाने बाबत् जब जमाबन्दी की नकल का अवलोकन किया तब जानकारी हुई कि न्यायालय में जो वाद प्रस्तुत किया गया था, उसमें संहवन से खसरा

...............लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

संख्या 1193 / 1337, 1194 / 1338, 1199 / 1339 एक ही खाते की भूमियां है किन्तु पूर्व वाद को तैयार कराये जाने के दौरान अधूरी नकल उपलब्ध होने से उक्त भूमियां वाद में अंकित किये जाने से रह गई थी। उक्त जानकारी होने के पश्चात् वादीगण द्वारा दिनांक 14.06.2018 को प्रतिवादी ने निवेदन किया कि वे राजस्व अभिलेखों में वादीगण के पिता की जाति रावत के स्थान पर मेहरात दुरूस्त अंकित करा देवें। किन्तु चूंकि उक्त निर्णय में खसरा नम्बर 1193 / 1337, 1194 / 1338, 1199 / 1339 का कोई अंकन नहीं था, इस कारण प्रतिवादी द्वारा इस हेतु सक्षम न्यायालय से आदेश लाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इस कारण उक्त वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि राजस्व अभिलेख दुरूस्त फरमाते हुए वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेखों में वादीगण के पिता धन्ना वल्द मोती के नाम जो उपरोक्त वर्णित आराजियात अंकित चली आ रही है, उसमें उसकी जाति रावत के स्थान पर मेहरात दुरूस्त कर अंकित कर देवे एवं तत्पश्चात् स्व. श्री धन्ना जी का विरासती दाखिल खारिज वादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में खोल दिया जावे तथा इस आशय की तहरीर प्रतिवादी को जारी की जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पत्रांक भूअ / 4011 दिनांक 09.08.2019 से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया है कि ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार मण्डल रूपनगर की वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में 25 / 2017 में सम्पूर्ण जांच बिन्दुवार भिजवाई जा चुकी है जिसमें पारित आदेश से खसरा नम्बर 663, 664 / 1335, 1192 / 1336 पर धन्ना वल्द मोती रावत के स्थान पर धन्ना वल्द मोती जाति मेरात दर्ज की जा चुकी है। इसी खाते के खसरा नम्बर 1193 / 1337, 1194 / 1338, 1199 / 1339 में खातेदार की जाति रावत के स्थान पर मेरात किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार हल्का रूपनगर भू अभिलेख निरीक्षक फतहपुरिया दोयम की जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता 133 में अंकित खसरा नम्बर 663 रकबा 00–17–00, 664 / 1335 रकबा 00–00–10, 1192 / 1336 रकबा 00–06–00 धन्ना वल्द मोती कौम रावत के स्थान पर धन्ना वल्द मोती कौम मेरात दर्ज होना पाया गया परन्तु इसी जमाबन्दी में अंकित खसरा संख्या 1193 / 1337, 1194 / 1338, 1199 / 1339 में खातेदार धन्ना वल्द मोती कौम रावत सा. देह खातेदार यथावत है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के प्रार्थना पत्र संख्या 25 / 2017 उनवान श्री घीसा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 08.05.2018 में खसरा नम्बर 663 रकबा 00–17–00, 664 / 1335 रकबा 00–00–10, 1192 / 1336 रकबा 00–06–00 धन्ना वल्द मोती कौम रावत के स्थान पर धन्ना वल्द मोती कौम मेरात दर्ज किये जाने के आदेश दिए गए हैं।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं बहस के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार हल्का रूपनगर भू अभिलेख निरीक्षक फतहपुरिया दोयम की जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता 133 में अंकित खसरा नम्बर 663 रकबा 00–17–00, 664 / 1335 रकबा 00–00–10, 1192 / 1336 रकबा 00–06–00 धन्ना वल्द मोती कौम रावत के स्थान पर धन्ना वल्द मोती कौम मेरात दर्ज किये जाने के आदेश इसी न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.05.2018 से दिये जा चुके हैं एवं इसी खाता संख्या 133 में दिये गये अन्य खसरा संख्या 1193 / 1337, 1194 / 1338, 1199 / 1339 तत्समय प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इन्द्राज नहीं किये जाने के कारण यथावत रहे हैं। अतः उक्त

.................लगातार

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

सभी खसरान् में एक ही खातेदार होने से दो अलग–अलग जातियों का इन्द्राज भी उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम फतेहगढ़ सल्ला पटवार हल्का रूपनगर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1193/1337 रकबा 00–04–00, 1194/1338 रकबा 00–14–00, 1199/1339 रकबा 00–13–00 किस्म बा.3 में अंकित धन्ना वल्द मोती कौम रावत सा. देह खातेदार के स्थान पर धन्ना वल्द मोती कौम मेहरात दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर पर पारित किये जाते हैं। तदनुसार तहसीलदार ब्यावर राजस्व अभिलेखों में धन्ना वल्द मोती की जाति रावत के स्थान पर मेहरात अंकित किया जाकर दुरूस्ती करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 07.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता चौहान)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

(श्वेता चौहान)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर